

WE VALUE OUR EMPLOYEES

WE CARE ABOUT OUR PENSIONERS

OFFICE OF PRINCIPAL CCA, DELHI REGION

HOLDS

**PENSION ADALAT**

**ON**

**31.01.2018 (Wednesday) at 11:00 A.M**

Pension Adalat will be held on 31.01. 2018 (Wednesday) at 11: 00 A.M at the O/o Pr. CCA, DOT Building, Prasad Nagar, New Delhi-110005. **Telecom Pensioners/ Family Pensioners whose PPOs/ FPPO have been issued by AO (Pension) Delhi Region or who are drawing pension from Pension Disbursing Authorities (Banks/ Pos etc) in Delhi Region, are requested to forward their pension related grievance, if any to AO (Pension), O/o PR. CCA, DOT Building, Near Prasad Nagar Fire Station, Prasad Nagar, New Delhi in two copies containing all relevant details viz Name and Designation of the Pensioner / Family Pensioner, Date of Retirement/ death, Name and address of unit office where last served, PPO/FPPO Number, Name and address of Pension Disbursing Authority (Bank / Post Office), current correspondence address and contact number etc, along with full details of their grievance.**

Note :-

1. If you are a Telecom Pensioner/ Telecom Family Pensioner of above mentioned category and have any kind of pension / Family Pension related grievance, please send your representation in two copies to abovementioned officer latest by 12 Jan 2018.
2. Cases involving purely legal points eg. Succession etc and the grievances involving policy matter cannot be taken up in the Adalat.
3. For more details visit at our office website : [www. Prccadelhi.gov.in](http://www.Prccadelhi.gov.in)
4. Tel No. 011-25729702, 011-25729703 & Toll Free No. 1800118119

हम अपने कर्मचारियों को महत्व देते हैं  
हम हम अपने पेंशनभोगियों की चिन्ता करते हैं  
कार्यालय प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा, दिल्ली क्षेत्र  
द्वारा दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए  
पेंशन अदालत का आयोजन

31 जनवरी 2018 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे

जिन दूरसंचार पेंशनभोगी/परिवार पेंशन भोगी को पेंशन भुगतान आदेश इस कार्यालय द्वारा निर्गत/अधिकृत/जारी किया गया है तथा जो दिल्ली क्षेत्र में स्थित बैंक/डाकघर/प्रधान लेखा कार्यालय आदि से पेंशन ले रहे हैं, वे अपनी पेंशन सम्बन्धी शिकायतें, यदि कोई हो तो, लेखाधिकारी (पेंशन) कार्यालय प्रधान नियंत्रक संचार लेखा, नई दिल्ली के पास निर्धारित प्रपत्र (Form) में विवरण भरकर 12.01.2018 तक आवश्यक रूप से भेज दें।

निर्धारित प्रपत्र में पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी का नाम, पदनाम, सेवानिवृत्ति की तिथि, पेंशन भुगतान आदेश संख्या, अंतिम सेवा कार्यालय, पता, पेंशन संचितरण अधिकारी जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं (बैंक/डाकघर/कार्यालय प्रधान नियंत्रक) सम्पर्क नम्बर आदि अवश्य दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली शिकायतों पर इस पेंशन अदालत में विचार नहीं किया जायेगा किन्तु उन शिकायतों को सामान्य शिकायत की तरह देखा जायेगा।

निर्धारित संलग्न प्रपत्र पूर्ण विवरण सहित प्रतियों में अग्रेषत करने का अनुरोध किया जाता है।

जिन शिकायतों का निवारण दिनांक 12.01.2018 तक हो जाता है उन पेंशनभोगियों को यथोचित सूचना दी जायेगी फिर उन्हें इस अदालत में आने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत में मूलतः उन शिकायतों पर विचार किया जायेगा जो काफी समय से लम्बित हैं।

जिन व्यक्तियों को इस कार्यालय द्वारा सरकारी पेंशन भुगतान आदेश निर्गत नहीं किया गया है, वो कृपया इस अदालत में आने का कष्ट न करें।

जो विषय नीतिगत मामलों सम्बन्धित हैं तथा इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, उन मामलों में इस अदालत में विचार नहीं किया जायेगा।

निर्धारित प्रपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट [www.prccadelhi.gov.in](http://www.prccadelhi.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस कार्यालय के लेखाधिकारी (पेंशन) से भी प्राप्त किया जा सकता है।

Format for Pension Grievance

Name and Designation of the Pensioner/ Family Pensioner	
Date and address of unit office where last served	
PPO/FPPO Number Name and address of Pension Disbursing Authority (Bank /Post Office)	
Current Correspondence address	
Contact number	

Full details of the grievance :-

\* Note : Please attach the photocopies of PPO/FPPO and grievance related documents.